फा.सं 5(8)/2023-आर.टी.आई (वि.वि.)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

आर.टी.आई प्रकोष्ठ

***

नई दिल्ली, दिनांकः 24 मई, 2023

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 03.04.2023 के पत्र सं. WW-19/25/2023-US(e-105468) आवेदन का संदर्भ लें, जिसके साथ आपके दिनांक 21.12.2022 का आवेदन अंतरित किया गया था जो इस विभाग में 02.05.2023 को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह कथन है कि जहां तक इस विभाग का संबंध है, ऐसी कोई सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

नवनीत कुमार 24/5/23

(नवनीत कुमार)

अनुभाग अधिकारी एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष- 23782134

नोट- प्रथम अपील, यदि कोई हो, (इस पत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर) दायर करने के लिए डॉ. एन.आर.बट्टू, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा संख्या 421, 'ए' विंग चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 (दूरभाष सं. 01123384044 एवं ई-मेल aa-rti-legis@nic.in) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

906558/2023/CR

File No.

सूचना पाने के अधिकार के अन्तर्गत

सेवा में

सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट सख्या 21 यशोदा संस्थान क्षेत्र
नई दिल्ली 110025

विषयः देश की आधी आबादी को राजनीति में आने के उपाय की सूचना के बावत।

महोदय,

आज महिलायें आई.ए.एस., पी.सी.एस., डिफेन्स आदि पदो पर आसीन होकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। वह पुरूष की जननी है। परन्तु पुरुष प्रधान समाज हर प्रकार से उनके शोषण पर आमादा है। प्रार्थी देश की आधी आबादी को राजनीति में लाने का विधिक नियम, अधिनियम, उपनियम आदि जानना चाहता है ताकि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है अधोहस्ताक्षरी को आधी आबादी को देश के राजनीति में आने के अधिनियम, नियम, उपनियम आदि की जानकारी निम्न पते पर देने का कष्ट करें।

सादर